राजस्व वाद 109/2018
जीसीएमएस नंबर–2018/00178
चैनाराम वगैरह बनाम् पुरखाराम के का.मु वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 109/2018

वादीगण–

1. चैनाराम पुत्र पुरखाराम
2. राजाराम पुत्र पुरखाराम
3. सुरेश पुत्र पुरखाराम
   जातियान–ब्राहमण निवासीगण–सांडिला , तहसील जायल जिला– (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. पुरखाराम पुत्र आसूराम फौत के कायम मुकामात
   1/1 किरण पुत्री पुरखाराम
   1/2 मंजू पुत्री पुरखाराम
   1/3 चुका देवी पुत्री पुरखाराम
   1/4 विजय कुमारी पुत्री पुरखाराम
   1/5 सोनू पुत्री पुरखाराम
   1/6 रूकमा देवी पत्नी स्व. पुरखाराम
   जातियान–ब्राहमण निवासीगण – सांडिला ,तहसील जायल जिला– (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश बिडियासर , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री नाथूराम ईनाणियां, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 के का.मु 1/1 से 1/6 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 28/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के का. मु (1/1 से 1/6) के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा सांडिला तहसील जायल में खेत खसरा नं. 314 रकबा 3.08 बीघा, खसरा नंबर 320 रकबा 9.14 बीघा, खसरा नंबर 347 रकबा 6.05 बीघा, खसरा नंबर 354 रकबा 15.15 बीघा, खसरा नंबर 357 रकबा 6.01 बीघा, खसरा नंबर 528/983 रकबा 3.04 बीघा, खसरा नंबर 736 रकबा 4.07 बीघा , खसरा नंबर 739/984 रकबा 5.07 बीघा , खसरा नंबर 740 रकबा 33 बीघा रहती चली आई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में ही सगे भाई बहन एवं माता के संबध में स्थापित है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी जुबानी बंटवाड़ा 2065 की आखातीज

28/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से घ) के अनुसार सिंव–नींव अलग–अलग कर लिया था। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 चैनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 314 रकबा 3.08 बीघा, खसरा नंबर 347 रकबा 6.05 बीघा, खसरा नंबर 736 रकबा 4.07 बीघा , खसरा नंबर 739/984 रकबा 5.07 बीघा में से 2.13 बीघा उतरी भाग व खसरा नंबर 740 रकबा 33 बीघा में से 11 बीघा उतरी भाग व मौजा अहीरपुरा का खेत खसरा नंबर 98/23 पूरा रखा गया है। वादी संख्या 2 राजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 357 रकबा 6.01 बीघा पूरा , खसरा नंबर 739/984 रकबा 5.07 बीघा में से 2.14 बीघा दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 740 रकबा 33 बीघा में से 11 बीघा दक्षिणी भाग रखा गया है। वादी सुरेश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 320 रकबा 9.14 बीघा पूरा , खसरा नंबर 528/983 रकबा 3.04 बीघा , खसरा नंबर 740 रकबा 33 बीघा में से 11 बीघा मध्य भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के का.मु प्रतिवादी संख्या 1/6 रूकमा देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा शेष खेताय रखे गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के का.मु 1/1 से 1/6 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी राजाराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम का स्वर्गवास दिनांक 15.04.2021 को हो गया है। वादीगण 1 से 3 पूर्व में ही पक्षकार के रूप में संयोजित है तथा वकील वादी ने सशोंधित शीर्षक पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 के का.मु 1/1 से 1/6 क्रमश किरण, मंजु, चुका देवी, विजय कुमारी , सोनू पुत्रिया पुरखाराम व रूकमा देवी पत्नी को आवश्यक पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी को स्वीकार किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के का.मु 1/1 से 1/6 ने दिनांक 20.09.2021 व 12.10.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 के का.मुकामात की पहचान अधिवक्ता श्री नाथूराम ईनाणियां ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 के का.मुकामातों द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह राजाराम पुत्र पुरखाराम, रूकमा पत्नी पुरखाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम सांडिला तहसील–जायल सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 194 प्रदर्श–1 नकल, ग्राम अहीरपुरा तहसील जायल सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 49 , नकल जमाबंदी ग्राम सांडिला संम्वत् 2042–2045 खाता संख्या 7 तथा पुरखाराम पुत्र आसूराम का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 के का.मु 1/1 से 1/6 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैरोज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 के का.मु प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/6 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 20.09.2021 व 12.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के का.मु प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/6 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.09.2021 व 12.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के का.मु प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/6 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

हमारी राय में मौजा सांडिला एवं अहीरपुरा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा सांडिला तहसील जायल में खेत खसरा नं. 314 रकबा 3.08 बीघा, खसरा नंबर 320 रकबा 9.14 बीघा, खसरा नंबर 347 रकबा 6.05 बीघा, खसरा नंबर 354 रकबा 15.15 बीघा, खसरा नंबर 357 रकबा 6.01 बीघा, खसरा नंबर 528/983 रकबा 3.04 बीघा, खसरा नंबर 736 रकबा 4.07 बीघा, खसरा नंबर 739/984 रकबा 5.07 बीघा , खसरा नंबर 740 रकबा 33 बीघा, मौजा अहीरपुरा का खेत खसरा नंबर 98/23 भूमि का माफिक ईकबालिया जबाब अनुसार बंट चाहा है जिसमें मौजा सांडिला तहसील जायल के खेत खसरा नं. 739/984, 740 जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 739/984, 740 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 07.03.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 07.03.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3669 दिनांक 01.06.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी रूकमा, राजाराम, चेनाराम व सुरेश कुमार ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान गोकुलराम एवं पपु(रामप्रसाद) तथा भू.अभि.निरीक्षक तरनाउ की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा सांडिला के खेत खसरा नं. 314, 347, 736, 739/984, 740, 357, 320, 529/983, 354 एवं मौजा अहीरपुरा का खेत खसरा नंबर 98/23 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 109/2018
जीसीएमएस नंबर–2018/00178
चैनाराम वगैरह बनाम् पुरखाराम के का.मु वगैरह

– : : **आदेश** : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सांडिला के खेत खसरा नं. 314, 347, 736, 739/984, 740, 357, 320, 529/983, 354 एवं मौजा अहीरपुरा का खेत खसरा नंबर 98/23 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

1. वादी संख्या 1 चैनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 314 रकबा 1.3597 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 347 रकबा 1.0117 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 736 रकबा 0.7042 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 739/984 रकबा 5.07 बीघा में से 2.13 बीघा (0.4290 हैक्टेयर) उतरी भाग व खसरा नंबर 740 रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से 1.2950 हैक्टेयर उतरी भाग व मौजा अहीरपुरा का खेत खसरा नंबर 98/23 रकबा 0.5261 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 राजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 357 रकबा 6.01 बीघा पूरा , खसरा नंबर 739/984 रकबा 5.07 बीघा में से 2.13 बीघा (0.4371 हैक्टेयर) दक्षिणी भाग व खसरा नंबर 740 रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से 2.0234 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 529/983 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से 0.2590 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 सुरेश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 320 रकबा 9.14 बीघा पूरा , खसरा नंबर 529/983 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से 0.2590 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 740 रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से 2.0234 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1/6 रूकमा देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 354 रकबा 0.5495 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् यथावत रहन रहेंगे तथा संबंधित बैंक को रहन के संबंध में सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 109/2018
जीसीएमएस नंबर–2018/00178
चैनाराम वगैरह बनाम् पुरखाराम के का.मु वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 109/2018

वादीगण–

1. चैनाराम पुत्र पुरखाराम
2. राजाराम पुत्र पुरखाराम
3. सुरेश पुत्र पुरखाराम
   जातियान–ब्राहमण निवासीगण – सांडिला ,तहसील जायल जिला– (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. पुरखाराम पुत्र आसूराम फौत के कायम मुकामात
   1/1 किरण पुत्री पुरखाराम
   1/2 मंजू पुत्री पुरखाराम
   1/3 चुका देवी पुत्री पुरखाराम
   1/4 विजय कुमारी पुत्री पुरखाराम
   1/5 सोनू पुत्री पुरखाराम
   1/6 रूकमा देवी पत्नी स्व. पुरखाराम
   जातियान–ब्राहमण निवासीगण – सांडिला ,तहसील जायल जिला– (नागौर)
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश बिडियासर , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री नाथूराम ईनाणियां, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 के का.मु 1/1 से 1/6 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुकेश बिडियासर वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 के का. मु द्वारा हाजरी श्री नाथूराम ईनाणियां व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सांडिला के खेत खसरा नं. 314, 347, 736, 739/984, 740, 357, 320, 529/983, 354 एवं मौजा अहीरपुरा का खेत खसरा नंबर 98/23 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

28/6/2022
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 109/2018
जीसीएमएस नंबर–2018/00178
चैनाराम वगैरह बनाम् पुरखाराम के का.मु वगैरह

1. वादी संख्या 1 चैनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 314 रकबा 1.3597 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 347 रकबा 1.0117 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 736 रकबा 0.7042 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 739/984 रकबा 5.07 बीघा में से 2.13 बीघा (0.4290 हैक्टेयर) उतरी भाग व खसरा नंबर 740 रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से 1.2950 हैक्टेयर उतरी भाग व मौजा अहीरपुरा का खेत खसरा नंबर 98/23 रकबा 0.5261 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 राजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 357 रकबा 6.01 बीघा पूरा, खसरा नंबर 739/984 रकबा 5.07 बीघा में से 2.13 बीघा (0.4371 हैक्टेयर) दक्षिणी भाग व खसरा नंबर 740 रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से 2.0234 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 529/983 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से 0.2590 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 सुरेश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 320 रकबा 9.14 बीघा पूरा, खसरा नंबर 529/983 रकबा 0.5180 हैक्टेयर में से 0.2590 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 740 रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से 2.0234 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1/6 रूकमा देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सांडिला का खेत खसरा नंबर 354 रकबा 0.5495 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् यथावत रहन रहेंगे तथा संबंधित बैंक को रहन के संबंध में सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

राजस्व वाद 109 / 2018
जीसीएमएस नंबर–2018 / 00178
चैनाराम वगैरह बनाम् पुरखाराम के का.मु वगैरह

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)